



भारत सरकार, गृह मन्त्रालय

Government of India, Ministry of Home Affairs

2011

दूरभाष/Tele.: 0177-2651 419, 2651 482
टेलीफैक्स/Telefax : 0177-2651 419

निदेशालय जनगणना कार्य, हिमाचल प्रदेश

Directorate of Census Operations, Himachal Pradesh

होम/Telegram : हिम-जनगणना/Him-Census
ई-मेल/E-mail : dco-him.rgi@censusindia.gov.in

सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, हिमाद्रि खण्ड, लौगवुड, शिमला-171 001

C.G.O. Complex, Himadri Block, Longwood, Shimla-171 001

सं डी.सी.ओ.एच.पी.- 26/2015-II

दिनांक

7-8 JUL 2015

निविदा आमंत्रण

- जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा सक्षम अनुभवी फर्मों से सिर्फ रद्दी कागज विक्रेता/ मिल जिसके पास पल्पिंग सुविधा हो उनसे लगभग 17 टन जनगणना-2011 के अप्रयुक्त फार्म/रद्द की गई अनुसूचियाँ एवं निर्देश पुस्तिकाओं की बिक्री एवं पल्पिंग (Pulping) हेतु मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।
- निविदाएं मुहरबंद लिफाफे में उप निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश शिमला -1 को सम्बोधित होनी चाहिए और लिफाफे पर "अप्रयुक्त फार्म/अनुसूचियाँ/रद्द अनुसूचियों और जनगणना 2011 से सम्बन्धित निर्देश/ पुस्तिकाएँ निपटाने के लिए" के रूप में लिखना चाहिए और उसे 24/07/2015 अपराह्न 3:00 बजे तक या इससे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए। बिना बयाना राशि की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- निर्धारित दिनांक और समय तक प्राप्त निविदाएँ दिनांक 24/07/2015 को 3:30 बजे प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो उपस्थित होंगे, उनके समक्ष खोली जायेगी।
- जिनके पास रद्दी पेपर डीलर्स/ पेपर मीलस पल्पिंग सुविधा हो, वहीं निविदाएं स्वीकार की जायेंगी (निविदा के साथ पल्पिंग की सुविधा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा)
- बयाना राशि (Earnest money Deposit) के रूप में रु.10,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट "सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश शिमला" के नाम का देय हो, निविदा के साथ जमा करना होगा, जो असफल निविदादाताओं को बिना ब्याज निविदा का अंतिम निर्णय होने के बाद शीघ्र लौटाये जायेंगे। किसी भी मामले में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
- सामग्री की प्रति दर 1000 Kg भारतीय मुद्रा में अनुलग्नक-1 में दर्शाई जानी चाहिए।
- कार्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत (upset value) रु. 14000 प्रति 1000 kg से कम कीमत की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधान के अनुसार सभी जनगणना रिकार्ड/फार्म गोपनीय हैं और यह पल्पिंग के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लिये जायेंगे। इसलिए सफल निविदादाता/बोलीदाता को Shredding के बाद इसे लुगदी(Pulping) किया जाना चाहिए।
- सभी बिना उपयोगी फार्म/अनुसूचियाँ/ रद्द अनुसूचियाँ और जनगणना 2011 की निर्देश पुस्तिकाएँ जो करीबन 17 टन हैं शिमला में ही कांटा पर तुलवाना होगा। यह कांटा जनगणना कार्य निदेशालय के प्रतिनिधि के द्वारा चयनित किया जाना होगा। कांटे पर आनेवाला व्यय सफल निविदादाता को ही वहन करना होगा इसके लिए पहले कांटे पर खाली ट्रक को तथा बाद में भरे हुए ट्रक को जनगणना कार्यालय के प्रतिनिधियों के समक्ष तुलवाना होगा।
- निर्धारित अवधि में सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित स्थान से उक्त रिकार्ड नहीं उठाने पर, निर्धारित शर्त के अधीन बोलीदाता की बयाना राशि रु 10,000/- (रुपये दस हजार केवल) जब्त की जायेगी और उसका अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाएगा।

11. बिना उपयोगी फार्म/अनुसूचियां/रद्द की गई अनुसूचियां और निर्देश पुस्तिकाएं की आपूर्ति जनगणना कार्यालय शिमला द्वारा की जाएगी। सफल बोलीदाता की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वह इन सभी पुराने रिकार्ड्स को एकत्रित करने की व्यवस्था करेंगे और जनगणना कार्यालय से कार्य दिवस के दौरान ले जायेंगे। सभी पुराना रिकार्ड जनगणना कार्य निदेशालय से दी गई तारीख से एक सप्ताह के अन्दर उठाना होगा।

12. सफल बोलीदाता Shredding(कटाई) के बाद एक खंड में यह रिकार्ड उठाकर रखना होगा। यह रिकार्ड को जनगणना कार्य निदेशालय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पलपिंग कराना होगा। जो पलपिंग के दौरान पलपिंग मिल में उपस्थित रहेगा और उसे पलपिंग प्रमाण पत्र देना होगा। सफल बोलीदाता को पलपिंग मिल का नाम, स्थान एवं किस तिथि को पलपिंग किया जाना है उसकी जानकारी लिखित में देनी होगी।

13. सफल बोलीदाता को निर्धारित समय में जनगणना भवन से सभी रिकार्ड अपने स्वयं के खर्च से उठाना पड़ेगा। बोलीदाता के खर्च पर कार्यालय द्वारा निर्धारित धर्म-काँटे पर खाली और भरी हुई ट्रक का वजन कार्यालय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में करना होगा। वजन कराने से पहले की (खाली ट्रक) वजन भराने के बाद की धर्मकाँटे की रसीद पर सफल बोलीदाता के प्राधिकृत प्रतिनिधि और इस कार्यालय के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने चाहिए।

14. सफल बोली बोलनेवाले का पुराना रिकार्ड और अन्य गोपनीय रिपोर्ट चेक करना होगा/ परिवहन और मजदूरी रेलवे चार्ज/कर इत्यादि का खर्च सफल बोलीदाता को देना पड़ेगा। यदि बोलीदाता द्वारा उक्त पुराने रिकार्ड के लिए कार्यालय के बोरे का उपयोग होता है तो कार्यालय को बोरे की अलग से कीमत देनी होगी।

15. रद्दी कागज के मूल वजन से 1 पूर्ण खाली बोरी का 1 kg और आधी खाली बोरी का ½ kg वजन काटा जाएगा।

16. निविदा में दिये जाने वाले दर प्रति टन (1000 kg) के होनी चाहिए। पैकिंग खर्च, वाहन चार्ज, चालान-उतारना, तुलाना, रेल चार्जस इत्यादि बोलीदाता को स्वयं भुगतान किया जाना होगा।

17. सफल बोलीकर्ता को ₹ 10,000/- (रुपये दस हजार केवल) का डिमाण्ड ड्राफ्ट सुरक्षा राशि के रूप में जमा करना होगा जो राष्ट्रीयकृत बैंक का होगा और जिसे "सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश शिमला" के नाम पर देय हो, जिसे कभी भी निविदा की शर्त पूर्ण नहीं करने पर जब्त कर लिया जाएगा।

18. यदि सफल बोलीदाता जनगणना कार्य निदेशालय से सूचना प्राप्त करने के पश्चात भी पुराना रिकार्ड आदि उठाने में विफल (Fail) रहा या उसके द्वारा किसी भी कारण वश देरी हुई और पुराने रिकार्ड को कोई नुकसान हुआ जैसे कि पुराने रिकार्ड में आग लगी या बारिश से खराब हुआ, इसमें जनगणना कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। और बोलीदाता द्वारा भरी हुई अग्रिम राशि वापिस नहीं की जाएगी और ऐसी किसी भी स्थिति में सारी जिम्मेदारी सिर्फ बोलीदाता की होगी।

19. पुराने अभिलेखों की अनुमानित राशि को पहले ही सामग्री उठाने से पूर्व जनगणना कार्य निदेशालय में जमा करानी होगी। ईएमडी और सुरक्षा राशि (EMD and Security Deposit Amount) को अंतिम चरण में समायोजित किया जायेगा।

20. संभावित निविदादाता (बोलीदाता) द्वारा रिकार्ड का निरीक्षण सांय 3:00 बजे से 5:00 बजे तक निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व निम्न पते पर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है ।

“जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, केन्द्रीय सरकारी परिसर, लोंगवुड, शिमला-1”

21. अनुमोदित निविदाकार द्वारा टेंडर के साथ लगी हुई सभी शर्तों की जाँच की गई है तथा हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।

22. सफल बोलीकर्ता को रजिस्टर्ड आवश्यक दास्तावेज पर हस्ताक्षर करने होंगे जो स्टैम्प पेपर पर होंगे । दास्तावेज का नमूना कार्यालय समय में निरीक्षण के लिए रखा जायेगा ।

23. यदि यह पाया जाता है कि रद्दी कागज के भाव प्रक्रिया दौरान बढ़ गए हैं तो कार्यालय को यह अधिकार रहेगा कि वह दोबारा निविदा आमंत्रित करेगा और बोलीदाता स्वयं को हो रहे नुकसान का जिम्मेदार रहेगा ।

24. कार्यालय उच्चतम या किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और इसके लिए कोई कारण बताने के लिए भी बाध्य नहीं होगा ।

25. सभी पुराने रिकार्ड को तुरंत ही लुगदी कराना होगा । मिल से पुराना रिकार्ड प्राप्त होने की सूचना कार्यालय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में 15 दिन के अंदर पल्लिंग का कार्य पूर्ण करना होगा । बोलीदाता को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि सभी रिकार्ड शर्तों के अनुसार पल्लिंग मिल द्वारा पल्प किया गया है । यदि यह सामग्री भेजने के 15 दिन की अवधि में इस निदेशालय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पल्प नहीं करते हैं तो उन्हें दंड दिया जायेगा और प्रतिदिन रु 500/- (पाँच सौ) प्रति टन की दर से काटा जायेगा ।

26. बोलीदाताओं को अपने टेंडर में पैन नंबर (PAN), मूल्य Added कर (VAT) संख्या और पिछले तीन वर्ष के Income Tax Return की प्रतियाँ अवश्य लगानी होगी। साथ ही पल्लिंग सुविधा का प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र भी निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत करें।

27. बोलीदाता को यह प्रमाण पत्र भी लगाना होगा कि उनके द्वारा अन्य सरकारी कार्यालयों का पल्लिंग कार्य किया गया है। अनुभव सम्बंधी विस्तृत जानकारी अलग शीट में प्रस्तुत करें ।

28. इस कार्यालय को प्राप्त सभी निविदाएँ, मांगे गये आवश्यक दस्तावेज के साथ ही प्रस्तुत करें। यदि कोई भी निविदा आवश्यक दस्तावेज के बिना प्राप्त होती है तो उस फर्म की निविदा रद्द कर दी जायेगी तथा उस पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।

29. यदि सर्वाधिक बोली लगाने वाला प्रथम निविदाकार किन्हीं कारणों से कार्य का निष्पादन नहीं करता है तो द्वितीय उच्चतम बोली वाला निविदाकार, सफल निविदाकार घोषित किया जायेगा और यदि द्वितीय उच्चतम बोली वाला निविदाकार, भी कार्य का निष्पादन नहीं करता है तो तृतीय उच्चतम बोली वाला निविदाकार यदि इस निदेशालय की गठित कमेटी चाहें तो सफल घोषित किया जायेगा परंतु द्वितीय व तृतीय उच्चतम बोली कार्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत (upset value) रु. 14000 प्रति 1000 kg से कम नहीं होनी चाहिये । निर्धारित न्यूनतम कीमत से कम कीमत होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा और निविदा रद्द कर दी जायेगी।

30. कोई भी विवाद या भिन्नता के मामले में शिमला क्षेत्राधिकार होगा ।

स्थान: शिमला

दिनांक

उप निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय

हिमाचल प्रदेश

✓ प्रतिलिपि : Web support Cell, EDP Division, O.R.G.I. Pushpa Bhawan, New Delhi |

उप निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय

हिमाचल प्रदेश

8/7/15

कोटेशन (quotation) के लिए निर्धारित प्रपत्र

प्रेषक:

.....
.....
.....

सेवा में,

उपनिदेशक,
जनगणना कार्य निदेशालय,
भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, हिमाद्री खण्ड, लोंगवुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001

महोदय,

उपनिदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला के प्रत्र संख्या-26/2015-II दिनांक 8.07.2015, के प्रति निर्देश से, मैं उपनिदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला को (जो भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से कार्य कर रहे हैं) जनगणना-2011 के अप्रयुक्त फार्म/रद्द की गई अनुसूचियाँ एवं निर्देश पुस्तिकाओं की बिक्री एवं पल्पिंग (Pulping) हेतु निम्नलिखित दर कोट करता हूँ:-

क्र.सं.	मद	प्रति 1000 Kg का भाव (in Rs.) (Upset value) #	प्रति1000 Kg pulping का भाव/ दर (in Rs.)
1.	सामग्री अप्रयुक्त /अनुसूचियाँ/रद्द अनुसूचियाँ और निर्देश पुस्तिकाएँ		

कार्यालय द्वारा न्यूनतम निर्धारित भाव मु. 14000 प्रति 1000 kg निर्धारित किया गया है।

आपके कार्यालय द्वारा मार्गी गई जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज निम्नलिखित हैं:-

1.	नाम (Agent/Paper mill)	
2.	टेलीफोन सं.	
3.	पैन सं. (PAN No.)	
4.	तीन साल के आयकर रीटर्न की नवीनतम प्रतिलिपि	
5.	VAT (Value Added Tax) Registration No	
6.	अनुभव प्रमाण पत्र	
7.	पल्पिंग की सुविधा का प्रमाण पत्र	
8.	दिनांक	

- मैंने टेंडर नोटिस में दी गई शर्तों और नियमों को अच्छी तरह से पढ़ा है और इसे मैं स्वीकार करता हूँ ।
- मिल के पास पल्पर है और उसके टन पेपर पल्प करने की क्षमता है । “Pulping की सुविधा का प्रमाण-पत्र” संलग्न है ।
- यदि मेरा/हमारा उक्त दर स्वीकृत किया जाता है तो, मैं/ हम इसे जनगणना कार्य के प्रतिनिधि के समक्ष पल्प करेंगे ।
- EMD के रूप में रु 10,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है जिसका विवरण निम्न है।
Demand Draft No.....
Name of the Bank
Branch Dated.....
- आपके द्वारा निविदा आमंत्रण पत्र के अनुसार मांगे गये आवश्यक दस्तावेजों की प्रति कोटेशन के लिए निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न किये गये हैं।
मैं यह भी आश्वासन देता हूँ कि अप्रयुक्त फार्म/अनुसूचियाँ/रद्द अनुसूचियाँ और निर्देश पुस्तिकाएँ आदि जिनकी बिक्री हमें की जानी है, उसे सिर्फ लुगदी(Pulping) के लिए उपयोग किया जायेगा और इसके अलावा अन्य किसी भी उपयोग में उसका इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

स्थान :
दिनांक :

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :
निविदाकर्ता का नाम
कंपनी की मोहर के साथ



भारत सरकार, गृह मन्त्रालय

Government of India, Ministry of Home Affairs

2011

दूरभाष/Tele.: 0177-2651 419, 2651 482
टेलीफैक्स/Telefax : 0177-2651 419

निदेशालय जनगणना कार्य, हिमाचल प्रदेश
Directorate of Census Operations, Himachal Pradesh

तार/Telegram : हिम-जनगणना/Him-Census
ई-मेल/E-mail : dco-him.rgi@censusindia.gov.in

सी.जी.ओ. कम्प्लेक्स, हिमाद्रि ब्लॉक, लंगवुड, शिमला-171 001

C.G.O. Complex, Himadri Block, Longwood, Shimla-171 001

सं डी.सी.ओ.एच.पी.- 26/2015-II

दिनांक

8 JUL 2015

निविदा आमंत्रण

- जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा सक्षम अनुभवी फर्मों से सिर्फ रद्दी कागज विक्रेता/ मिल जिसके पास पल्पिंग सुविधा हो उनसे लगभग 17 टन जनगणना-2011 के अप्रयुक्त फार्म/रद्द की गई अनुसूचियाँ एवं निर्देश पुस्तिकाओं की बिक्री एवं पल्पिंग (Pulping) हेतु मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।
- निविदाएं मुहरबंद लिफाफे में उप निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश शिमला -1 को सम्बोधित होनी चाहिए और लिफाफे पर "अप्रयुक्त फार्म/अनुसूचियाँ/रद्द अनुसूचियों और जनगणना 2011 से सम्बन्धित निर्देश/ पुस्तिकाएँ निपटाने के लिए" के रूप में लिखना चाहिए और उसे 24/07/2015 अपराह्न 3:00 बजे तक या इससे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए। बिना बयाना राशि की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- निर्धारित दिनांक और समय तक प्राप्त निविदाएँ दिनांक 24/07/2015 को 3:30 बजे प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो उपस्थित होंगे, उनके समक्ष खोली जायेगी।
- जिनके पास रद्दी पेपर डीलर्स/ पेपर मिल्स पल्पिंग सुविधा हो, वहीं निविदाएं स्वीकार की जायेंगी (निविदा के साथ पल्पिंग की सुविधा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा)
- बयाना राशि (Earnest money Deposit) के रूप में ₹.10,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट "सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश शिमला" के नाम का देय हो, निविदा के साथ जमा करना होगा, जो असफल निविदादाताओं को बिना ब्याज निविदा का अंतिम निर्णय होने के बाद शीघ्र लौटाये जायेंगे। किसी भी मामले में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
- सामग्री की प्रति दर 1000 Kg भारतीय मुद्रा में अनुलग्नक-1 में दर्शाई जानी चाहिए।
- कार्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत (upset value) ₹. 14000 प्रति 1000 kg से कम कीमत की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधान के अनुसार सभी जनगणना रिकार्ड/फार्म गोपनीय हैं और यह पल्पिंग के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लिये जायेंगे। इसलिए सफल निविदादाता/बोलीदाता को Shredding के बाद इसे लुगदी(Pulping) किया जाना चाहिए।
- सभी बिना उपयोगी फार्म/अनुसूचियाँ/ रद्द अनुसूचियाँ और जनगणना 2011 की निर्देश पुस्तिकाएँ जो करीबन 17 टन हैं शिमला में ही कांटा पर तुलवाना होगा। यह कांटा जनगणना कार्य निदेशालय के प्रतिनिधि के द्वारा चयनित किया जाना होगा। कांटे पर आनेवाला व्यय सफल निविदादाता को ही वहन करना होगा इसके लिए पहले कांटे पर खाली ट्रक को तथा बाद में भरे हुए ट्रक को जनगणना कार्यालय के प्रतिनिधियों के समक्ष तुलवाना होगा।
- निर्धारित अवधि में सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित स्थान से उक्त रिकार्ड नहीं उठाने पर, निर्धारित शर्त के अधीन बोलीदाता को बयाना राशि ₹. 10,000/- (रुपये दस हजार केवल) जब्त की जायेगी और उसका अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाएगा।